

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/संख्या 5-08(न्य)2022/

दिनांक : 03/6/2022

निमित्त,

तहसीलदार

राशमी

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1 श्री भैरुसिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।



प्रार्थीगण

वनाम

- 1 श्री जसवन्त सिंह पिता कल्याण सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री भंवरसिंह पिता जेसु सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 3 श्री डुगर सिंह पिता कल्याण सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 4 श्री धनकंवर पुत्री मनोहर सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 5 श्री पुष्पादेवी पत्नी प्रहलादराम जाति दाघिच ब्राह्मण आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 6 श्री शम्भु सिंह पुत्र खुमाण सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 7 श्री नाहर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 8 श्री निर्भय सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 9 श्री पपु सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 10 श्री भगवान सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 11 श्री भजेसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 12 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
- 13 भगवानसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी रेवाडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।


अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 124 /2022



:-: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी :-:

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 1000/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा रेवाडा पटवार हल्का रेवाडा तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 684/1 की दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में चारों ओर दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढी की जाएँ, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे ।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),
राशमी